



प्रेस नोट—जनपद बिजनौर

दिनांक 18.03.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:—

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2016 को वादी श्री आबिद पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर ने वादी के भाई खालिक की अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा हत्या कर देने के संबंध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 404/2016 धारा 302/34/201/120बी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 18.03.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-02 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण 1.नौशाद पुत्र अब्दुल रसीद 2.रियासत पुत्र शब्बीर निवासीगण ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग में आजीवन कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता:—

- 1.नौशाद पुत्र अ०रसीद निवासी ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर।
- 2.रियासत पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम दिनौडा थाना नांगल जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 18.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 20 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 20 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	धामपुर	नईम पुत्र अ० वाहिद नि० मिलक जहाँगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2	धामपुर	शहीद पुत्र अ० हमीद नि० ग्राम मिलक जहाँगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3	धामपुर	इसरार पुत्र सुलेमान नि० ग्राम मतौरामान भटियाना थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4	नूरपुर	पुनीत पुत्र सुखवीर सिंह नि० ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5	नूरपुर	आकिल पुत्र तौसीफ नि० ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6	नूरपुर	नीरज पुत्र रामकुमार नि० राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7	नूरपुर	इमरान पुत्र जाबूद्दीन नि० मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
8	नूरपुर	एहसान पुत्र जाबूद्दीन नि० मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
9	नूरपुर	इरसाद पुत्र जाबूद्दीन नि० मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
10	चांदपुर	अंग्रेज सिंह पुत्र हरदयाल सिंह नि० ग्राम जलीलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
11	स्योहारा	साहिल कुमार पुत्र अमर सिंह नि० ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
12	स्योहारा	चरनजीत सिंह पुत्र रविन्द्र कुमार नि० ग्राम नरावली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
13	नहतौर	टीकाराम पुत्र भस्सू नि० ग्राम नारायणखेडी थाना नहतौर जनपद बिजनौर
14	नगीना	चमन पुत्र हरदेवा नि० ग्राम तुख्मापुर थाना नगीना जनपद बिजनौर
15	किरतपुर	सुशीला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह नि० ग्राम बूढगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
16	किरतपुर	महेन्द्र सिंह पुत्र बार्के सिंह नि० ग्राम बूढगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
17	हल्दौर	परमिन्द्र पुत्र सुबे सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
18	नजीबाबाद	अजय पुत्र अतर सिंह नि० ग्राम हकीमपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
19	नजीबाबाद	ओमप्रकाश पुत्र मूला नि० ग्राम गढवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
20	मण्डावली	अतीक पुत्र अजीज नि० ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर



थाना धामपुर



थाना नूरपुर



थाना चांदपुर



थाना नहतौर



थाना नगीना



थाना किरतपुर



थाना हल्दौर



थाना नजीबाबाद



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 18.03.2024

**थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 97/2024 धारा 354/323/504/506/452 भादवि व 7/8
पॉक्सो अधि0 व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.03.2024 को वादिनी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त गौरव पुत्र रोहताश निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी थाना मंडावर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी की तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौच करते हुए मारपीट की । तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 97/24 धारा 354/323/504/506/452 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.03.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र रोहताश निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र रोहताश निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी1177 पुनीत त्यागी थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना रेहड

दिनांक 18.03.2024

थाना रेहड पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र कलुआ सिंह नि० ग्राम भगतावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना रेहड पर मु०अ०सं० 37/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. महेन्द्र सिंह पुत्र कलुआ सिंह नि० ग्राम भगतावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

1— 10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1—उ०नि० श्री रहीसपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2—का० 19 केशव सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात

दिनांक – 18.03.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम तेलीपाडा से अभियुक्त बबबू सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी ग्राम भूमिदान प्रेमनगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को प्लास्टिक जरीकैन में करीब 40 लीटर अवैध कच्ची शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 64/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम बबबू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बबबू सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी ग्राम भूमिदान प्रेमनगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

40 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 बबलू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 134 सौरभ कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1065 राजू सागर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना हल्दौर

दिनांक 18.03.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त नितिन पुत्र किशन सिंह नि० ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु०अ०सं० 81/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. नितिन पुत्र किशन सिंह नि० ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1— 10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1—हे०का० 445 विकास कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2—का० 886 विशाल कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।